



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 31, 2019/माघ 11, 1940  
No. 32] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 31, 2019/MAGHA 11, 1940

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2019

**फा. सं. 1-1275/एफएसएसआई/आयात/2015.**—कतिपय विनियमों का प्रारूप, खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (2) खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करता है, उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित सभी संभाव्य प्रभावित व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से जब इन प्रारूप नियमों कि राजपत्र की प्रतियाँ आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और औषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली -110002 को भेजे या [regulation@fssai.gov.in](mailto:regulation@fssai.gov.in) पर मेल किए जा सकेंगे;

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा;

## प्रारूप विनियम

1. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) संशोधन विनियम, 2019 है।
2. खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017, में,-
  - (1) अध्याय - 3 में,-
  - (क). "खाद्य प्राधिकरण द्वारा आयातित खाद्य की निकासी" से संबन्धित उप-विनियम (5) में,-

(i) उप-विनियम (1) में, शब्दों “सीमा शुल्क द्वारा एक विशेष एकीकृत घोषणा पत्र दायर करेगा” के पश्चात्, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्,-

“समय-समय पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट गैर-वापसी योग्य बुनियादी खाद्य आयात निकासी शुल्क का भुगतान करेगा।”

(ii) उप-विनियम (2) में,-

क. खंड (ख) के लिए, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्,-

“(ख) समाधानप्रद समीक्षा पर, प्राधिकृत अधिकारी निरीक्षण की तिथि एवं समय का विवरण खाद्य आयातक को देगा ताकि आयातक या उसका सीमा शुल्क हाउस एजेंट या अधिकृत प्रतिनिधि निरीक्षण के समय उपस्थित होने में सुविधा हो;”

ख. खंड ग, घ और ड का लोप किया जाएगा।

(iii) उप-विनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्,-

“यदि खाद्य आयातक या उसका कस्टम हाउस एजेंट निरीक्षण और नमूने चयन के लिए निरीक्षण के लिए दिये गए समय पर उपस्थित नहीं होता है तो प्राधिकृत अधिकारी निरीक्षण और खाद्य का नमूना ले सकता है:

परन्तु खाद्य आयातक पर समय समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट उद्ग्रहण लगाने के बाद क्षेत्र के प्रभारी निदेशक द्वारा अवसर दिया जा सकता है।”

(ख) “पैकेजिंग और लेबलिंग के नियमों के मानकों का अनुपालन” से संबन्धित विनियम ‘6’ में,-

(i) उप-विनियम (4) में, खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्,-

“(ड) खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार कोई अन्य लेबलिंग जानकारी।”

(ii) उप-विनियम (5) में, शब्दों “प्राधिकृत अधिकारी एक आदेश” के पश्चात्, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्,-

“समीक्षा के दौरान या दृश्य-निरीक्षण के पश्चात्”

(iii) उप-विनियम (6) में, शब्दों “प्राधिकृत अधिकारी खाद्य का फिर से निरीक्षण करेगा” के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्,-

“प्राधिकृत अधिकारी खाद्य का दृश्य-निरीक्षण या पुनः निरीक्षण करेगा”

(2) अध्याय-5 में, विनियम ‘9’ में, उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्,-

“(3 क) आयातित प्री-पैकेज्ड रिटेल फूड आर्टिकल के मामले में, दृश्य-निरीक्षण और नमूना लेने के पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी, फूड कंसाइनमेंट को एक अच्छी तरह से सुसज्जित स्टोरेज सुविधा में स्थानांतरित करने के लिए अनंतिम अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कर सकता है;

(3 ख) उप-विनियम (3 क) के प्रयोजन के लिए, प्राधिकृत अधिकारी फॉर्म ‘13क’ में आयातक से एक घोषणा लेगा और आयातक प्राधिकारी अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के बाद ही इस तरह के प्री-पैकेज्ड रिटेल फूड आर्टिकल को बेचेगा।”

(3) अध्याय-11 में, विनियम ‘15’ में, उप-विनियम (3) में, खंड (ड) में शब्दों “सात दिन” के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्,-

“दस कार्य दिवस”

(4) प्रारूप - '13', के पश्चात् निम्नलिखित प्रारूप को रखा जाएगा, अर्थात्, -

**प्रारूप - 13 क**

[विनियम 9(3ख) को देखें]

**आयातित प्री-पैकेज्ड रिटेल फूड कंसाइनमेंट के लिए अनंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए घोषणा**

(एफबीओ/आयातक/कम्पनी के पत्रशीर्ष पर मुद्रित किया जाए)

सेवा में,

प्राधिकृत अधिकारी, एफएसएसएआई

.....आयात का पत्तन.....

महोदय,

मैं/हम..... निवासी..... मैसर्स.....के (स्वत्वधारी/भागीदार/प्रबंध निदेशक/निदेशक/मैसर्स के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)..... खाद्य परेषण बिल ऑफ एंट्री संख्या..... दिनांक..... पत्तन का नाम..... द्वारा आयातित .....(खाद्य का नाम) , के लिए अनंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुरोध करते हैं।

2. मैं/हम वचन देते हैं कि मैं/हम निम्नलिखित नियम और शर्तों का अनुपालन आयात करने वाली फर्म/कम्पनी की ओर से करेंगे -

- (I) ऊपर वर्णित बिल ऑफ एंट्री के तहत पूरी खेप को भंडारण की सुविधा ....<गोदाम का पता> में रखा जाएगा और खेप का कोई हिस्सा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने से पहले बाजार में नहीं जारी किया जाएगा;
- (II) भारतीय सीमा शुल्क और खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण दोनों को किसी भी समय यह सुनिश्चित करने के लिए कि खेप को तब तक सुरक्षित रखा जाए जब तक कि खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भारत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जाता है उक्त भंडारण सुविधा का निरीक्षण करने का अधिकार है;
- (III) खाद्य अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी भी नियम, विनियमों का पालन न करने की स्थिति में, मैं/हम कार्गो को सीमा शुल्क क्षेत्राधिकार में ले जाने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किए गए विनाश / पुनः निर्यात के लिए सभी मानदंडों का पालन करेंगे।

(IV) उपरोक्त मानदंडों में से किसी का पालन न करने की स्थिति में, मैं /हम भविष्य में उपर वर्णित किसी भी सुविधा को पाने के पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा, मैं/हम खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के नियमों और वहाँ बनाए गए नियमों और नियमों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होंगे।

	आयातक के हस्ताक्षर मुहरबंद सहित
	नाम
स्थान	पता
दिनांक	सम्पर्क संख्या

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./509/18]

**टिप्पण :** मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खण्ड 4 में अधिसूचना संख्या फा. सं. 01/2008/आयात संरक्षा/एफएसएसएआई, तारीख 9 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या रेग/11/25/आयात संशोधन/एफएसएसएआई-2017, दिनांक 7 फरवरी, 2018 द्वारा संशोधित किए गए थे।

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE  
(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th January, 2019

**F. No. 1-1275/FSSAI/Import/2015.**—The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Import) Regulations, 2018, which the Food Safety and Standards Authority of India, with the previous approval of the Central Government, proposes to make, in exercise of powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006, (34 of 2006) is hereby published as required by sub-section (1) of section 92 of the said Act, for the information of persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi – 110002, or may be sent through e-mail at regulation@fssai.gov.in;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to said draft regulations, before the expiry of the period so specified above, will be considered by the Food Authority.

**Draft regulations**

1. These regulations may be called the Food Safety and Standards (Import) Amendment Regulations, 2019.
2. In the Food Safety and Standards (Import) Regulations, 2017,-
  - (1) in Chapter –III ,-
    - (A) in regulation ‘5’ related to “Clearance of Imported Food by the Food Authority”,-
      - (i) in sub-regulation (1), after the words “Form as specified by the Customs”, the following words shall be inserted, namely:-
 

“and shall pay non-refundable basic food import clearance fee as specified by Food Authority from time to time”
      - (ii) in sub-regulation (2),-
        - (a) for the clause ‘(b)’, the following shall be substituted, namely:-
 

“(b) after satisfactory scrutiny, the Authorized Officer shall intimate the details of date and time of inspection to the Food Importer to facilitate the presence of the Importer or his Custom House Agent/authorized representative at the time and place of inspection;”
        - (b) clauses (c), (d) and (e) shall be omitted.
    - (iii) for sub-regulation (4), the following shall be substituted, namely:-
 

“(4) If the Food Importer or his Custom House Agent is not present to facilitate inspection and sampling at the appointment time, the Authorised Officer may carry out inspection and sampling of food consignment:

Provided that any further opportunity in this behalf may be granted by the Director in-charge of region after levy of suitable fee on the Food Importer as may be specified by the Authority from time to time.”
  - (B) in regulation ‘6’ related to “Compliance with standards for packaging and labelling”,-

(i) in sub-regulation (4) –

(a) for the word “principle”, the following shall be substituted, namely:-  
“principal”;

(b) after clause (d), the following shall be inserted, namely:-

“(e) Any other labeling information as per instructions issued by the Food Authority from time to time.”

(ii) in sub-regulation (5), after the words “Authorised Officer may pass an order”, the following shall be inserted, namely:-

“during scrutiny stage or after visual inspection”;

(iii) in sub-regulation (6), for the words “Authorised Officer shall carry out a re-inspection”, the following shall be substituted, namely:-

“Authorised Officer shall carry out visual inspection or re-inspection”

(2) in chapter-V, in regulation 9, after the sub-regulation (3), the following shall be inserted, namely:-

“(3a) In case of imported pre-packaged retail food article, the Authorized Officer after successful completion of visual inspection and sampling, may issue a provisional no objection certificate to move the food consignment to a well equipped storage facility.

(3b) For the purpose of sub-regulation (3a), the Authorized Officer shall take a declaration from importer in Form ‘13 A’ and importer shall sell such pre-packaged food article only after the issuance of no objection certificate by the Authorized Officer.”

(3) in chapter-XI related to “Review Process”, in sub-regulation (3), in clause (e) for the words “seven days”, the following shall be substituted, namely:-

“ ten working days”;

(4) in Form -6, for the words “Food Safety and Standards (Food Import) Regulation, 2016”, the following shall be substituted, namely:-

“Food Safety and Standards (Food Import) Regulation, 2017”

(5) after Form ‘13’, the following Form shall be inserted, namely:-

### **FORM -13A**

[See Regulation 9(3b)]

#### **Declaration regarding issue of provisional no objection certificate for imported pre-packaged retail food consignment**

(To be printed on the Letterhead of the FBO/Importer/Company)

To

The Authorised Officer, FSSAI

<Port of Import>

Dear Sir,

I/We..... resident of..... [as Proprietor/ Partner/ Managing Director/ Director/ Authorised Signatory] of M/s.....are importer of.....<Name of Food Items>..... in the consignment imported vide .....<Bill of Entry>.....dated.....at .....<Port location>....., request,you to issue provisional NOC for the same.

I/We hereby undertake to comply with the following terms and conditions on behalf of the importing firm/company as under: -

- (i) The entire consignment under above mentioned Bill of Entry will be retained in a storage facility at .....<address of warehouse>.....and no part of the consignment shall be released into the market prior to issuance of no objection certificate;
- (ii) Both Customs and Food Safety and Standards Authority of India have the right to inspect the said storage facility at any time to ensure that the consignment is held securely till the no objection certificate is provided by Food Safety and Standards Authority of India ;
- (iii) In the event of non-compliance of any rules, regulations made under FSS Act, I/We shall be fully responsible to move the cargo back to Customs jurisdiction and comply with all the norms for destruction/ re-export as may be decided by the competent Authority;
- (iv) In case of non-compliance of any of the above norms, I/We will not be eligible to avail of the above mentioned facility in future. Besides, I/We will be liable for contravention of the Food Safety and Standards Act, 2006 and rules & regulations made there under.

	Signatures of the Importer with Stamp/ Seal
	Name:
Place:	Address:
Date:	Contact Nos:

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./509/18]

**Note :** The principal regulation were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, *vide* notification number F. No. 1/2008/Import safety/FSSAI, dated 9<sup>th</sup> March, 2017 and amended *vide* notification number F. No. REG/11/25/Import amendment/FSSAI-2017, dated 7th February, 2018.